उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0–गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

website-www.ukpsc.gov.in

दूरभाषः 01334–244143

उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव परीक्षा–2017

विज्ञापन संख्याः– 01/विज्ञापन/ई–3/2017–18

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि– 31.07.2017

ऑन लाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि – 21.08.2017 (समय रात्रि 11:59:59) बजे तक

परीक्षा शुल्क हेतु e-challan का प्रिंटआउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि– 23.08.2017 (समय सायं 4:59:59) बजे तक

परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि – 24.08.2017 (बैंक समयावधि) तक

परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि – 24.08.2017 (समय रात्रि 11:59:59) बजे तक

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2010 के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 21.08.2017 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(2) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग मैनुअल (संशोधित)–2016 में उल्लिखित सन्निरीक्षा नियमावली के प्राविधानानुसार सम्पादित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 21.08.2017 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को तत्काल आयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र, प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राप्त किये जायेंगे। फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्व अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(5) ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑन लाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

(7) –प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं e-challan/Net Banking/Debit Card के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) इस विज्ञापन में दो विभागों के पद विज्ञापित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार इनमें से किसी एक अथवा दोनों पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन में विकल्प चुन सकते है अर्थात अभ्यर्थी एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर दोनों पदो हेतु आवेदन कर सकते हैं। किसी भी दशा में अभ्यर्थी एक से अधिक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र न भरें अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार भरे गए समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगें।

(9) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा ''Online Application'' प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र ''Submit'' करने एवं नियत समय तक e-challan/Net Banking/Debit Card के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने पर ही ''Online Application'' प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

(10) अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट–1, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–2, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–3 एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–4 का अवलोकन करें।

(11) प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन माह सितम्बर–अक्टूबर 2017 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(12) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए अंतिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भर लें।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में समूह 'ग' के अन्तर्गत अपर निजी सचिव के रिक्त कुल 122 पदों पर सीधी भर्ती (परीक्षा माध्यम) द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 21.08.2017 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनायी जायेगी परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) होने की दशा में विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर माह सितम्बर–अक्टूबर 2017 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा के संबंध में परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

<u>रिक्तियों की संख्या</u> :– रिक्तियों की कुल संख्या 122 है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

क्र.सं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या			
					महिला	स्व0सं0 सेनानी आश्रित	पूर्व सैनिक	निःशक्त (विकलांग)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
01	अपर निजी सचिव (उत्तराखण्ड सचिवालय)	समूह–'ग'	अनारक्षित	72	21	01	04	01(PB)
			अन्य पिछडा वर्ग	15	05	–	01	01(PD)
			अनु0 जनजाति	06	02	–	–	–
			अनुसूचित जाति	24	07	–	01	01(OL)
			योग	**117**	**35**	**01**	**06**	**03**
02	अपर निजी सचिव (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)	समूह–'ग'	अनारक्षित	03	–	–	–	–
			अन्य पिछडा वर्ग	01	–	–	–	–
			अनु0 जनजाति	00	–	–	–	–
			अनुसूचित जाति	01	–	–	–	–
			योग	**05**	**00**	**00**	**00**	**00**
			कुल योग –	**122**	**35**	**01**	**06**	**03**

नोटः– समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता :–

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 04 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में **समूह–ग** के पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097/ XXX (2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं सम्मिलित है"।**

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर सेवाओं में कार्यरत है, को उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुक्रम में उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गई है तथा उस अनापत्ति की सूचना उसने संबधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी है। इस प्रकार दोनों आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(ii) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010–3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

(iii). अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय राज्याधीन सेवाओं में होने या न होने के सम्बन्ध में **हाँ/नहीं** को चुने।

विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण

1. (क) अपर निजी सचिव (उत्तराखण्ड सचिवालय)

(i) **पदों की संख्या** –117

(ii) **वेतनमान** – रू0 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4800/–

(iii) **पद का स्वरूप** – अराजपत्रित पद (समूह–'ग'), अस्थायी (जिसके निरन्तर चलते रहने की संभावना है)। अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) **(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –**

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि।

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति।

(ख) अधिमानी अर्हता :– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति।

<u>नोट :–</u> अंग्रेजी आशुलेखन एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये वैकल्पिक होगी।

<u>(ख) अपर निजी सचिव (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग)</u>

(i) **पदों की संख्या –05**

(ii) **वेतनमान** :– रू 9300–34800 ग्रेड पे–रू 4800/–

(iii) **पद का स्वरूप :–** अराजपत्रित पद (समूह–'ग'),अस्थायी (जिसके निरन्तर चलते रहने की संभावना है)। अंशदायी पेंशन योजना।

(iv) <u>(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–</u>

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होना आवश्यक है तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था /विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि।

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है।

<u>**(ख) अधिमानी अर्हता :–**</u> अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(3) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की–डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घंटा की गति।

<u>नोट :–</u> अंग्रेजी आशुलेखन एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के लिये वैकल्पिक होगी।

2. <u>आयु सीमा</u> :– (क) आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2017 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1999 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(ख) <u>उच्चतम आयु सीमा में छूट :–</u>

1. विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में 'अपर निजी सचिव' पद हेतु विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को विद्यमान शासनादेशानुसार आयु में छूट दी जा सकती है, परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत आने वाले सरकारी सेवकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

3. <u>**सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण :–**</u> उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि तक वैध पंजीकरण अनिवार्य है। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संबंधी विस्तृत विवरण हेतु विज्ञापन के प्रारम्भ में रिक्तियों की संख्या की तालिका के नीचे **"नोट"** देखें।

4. <u>राष्ट्रीयता :–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश–केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो:

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह और कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

5. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

6. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7 शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड दो से चार के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

8. आरक्षण :– ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, **जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेगें।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के "परिशिष्ट–3" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ड़) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल विज्ञापन की अंतिम तिथि 21.08.2017 तक सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

9. ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां :– ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

1	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	**31.07. 2017 (सोमवार)**
2	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	**21.08. 2017 (सोमवार) (रात्रि 11: 59:59 बजे तक)**
3	e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	**23.08. 2017 (बुद्धवार) (सांय 4:59:59 बजे तक)**
4	परीक्षा शुल्क e- challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	**24.08. 2017 (बृहस्पतिवार) (बैंक समयावधि तक)**
5	परीक्षा शुल्क Net Banking/ Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	**24.08. 2017 (बृहस्पतिवार) (रात्रि 11:59:59 बजे तक)**

10. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(I) अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जायें।

(II) ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR APS EXAM-2017** के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं Continue करें।

(III) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Reset पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Continue पर Click करें।

(V) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format **(40 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** एवं हस्ताक्षर JPG Format **(20 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** में अपलोड करने होंगे।

(VI) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Update पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में I Agree पर Click करें।

(VII) अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(VIII) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात् ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of filling the form" पर क्लिक करें।

(IX) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क एस.बी.आई. e-challan द्वारा **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/ Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

11. शुल्क : अभ्यर्थी को एस.बी.आई. e-challan/Net Banking/Debit Card **के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :—**

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 150/— मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0) एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) एवं उत्तराखण्ड विकलांग/पूर्व सैनिक	रू0 60/— मात्र

(I) निर्धारित अंतिम तिथि के बाद में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा।

(II) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

(III) जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(IV) Net Banking/ Debit Card **के माध्यम से किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।**

12. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :—

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016** और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली—2012 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन—2013), (द्वितीय संशोधन—2014), (तृतीय संशोधन—2015) व (चतुर्थ संशोधन—2016) आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति, राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में निम्नवत् निर्देशों का पालन करना होगा–

1. अभ्यर्थी अपने साथ लेखन सामग्री लायें। अभ्यर्थी अपने साथ लायी गयी पुस्तक, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबन्ध रहेगा फिर भी यदि सामान खो जाता है तो इसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

2. अभ्यर्थी परीक्षा में नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बंधित प्रश्न के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

3. मुख्य उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखे जायें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा **'अबस'** एवं पता के स्थान पर ABC अथवा **'कखग'** लिखें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

4. परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व मुख्य उत्तर–पुस्तिका एवं अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ धागे से अवश्य बांधें।

5. प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष की उपेक्षा की जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

6. प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

7. अभ्यर्थी प्रश्न–पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न–पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

8. अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) ''क्रास'' करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर–पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षकों द्वारा चैक किया जायेगा।

9. प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर–पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough Work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर–पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।

10. उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड न लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(v) उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vi) उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vii) उत्तर पुस्तिका में अप्रसांगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(viii) उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(ix) उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(x) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(xi) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(5) मुख्य (लिखित परीक्षा) से पूर्व अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षणिक व आरक्षण सम्बन्धी दावों को मूल प्रमाण पत्रों से परीक्षण किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों में सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(8) प्रारम्भिक परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(9) गलत उत्तरों के लिए दण्ड– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) परीक्षा के किसी भी स्तर में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परिक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

(13) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(14) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(15) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(16) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(17) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(18) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(19) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(20) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(21) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 एवं प्रथम संशोधन–2016** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:– अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी

जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(23) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** :– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(24) **परीक्षा भवन में आचरण** :– परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(25) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्यक किया जाना चाहिए।

(26) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग/शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(27) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(29) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, ,या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचायी हो,
11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने

का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(30) निम्नलिखित अभिलेख आयोग कार्यालय द्वारा वांछित होने पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा–

(क) शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित अंकतालिका, प्रमाण–पत्रों एवं आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि।

(ख) जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ **परिशिष्ट–4** में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए।

(ग) क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(31) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(32) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(33) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाईन शुल्क प्राप्त किया जायेगा तथा प्रारम्भिक परीक्षा में शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता, आरक्षण संबंधी किये गये दावों की पुष्टि के संबंध में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र इत्यादि तथा ऑनलाईन जमा की गयी शुल्क की रसीद डाक/व्यक्तिगत माध्यम से आयोग को प्रेषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य श्रेणी एवं उत्तराखण्ड ओ0बी0सी0से परीक्षा शुल्क रू0 200/ एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जन जाति, विकलांग व पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क रू0 80/मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

(34) मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।

(35) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

<u>नोट :–</u> अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे दावों की पुष्टि में समस्त स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं करते है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(36) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त **प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।** मुख्य परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(37) परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा निर्धारित तिथि में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(38) अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(39) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(40) **<u>न्यूनतम अर्हक अंक</u>** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015) व (चतुर्थ संशोधन–2016) के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
सचिव।

परिशिष्ट–1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी, उनके नाम व कोड इस प्रकार है :–

क्रम सं0	नगर (जिला)	नगर कोड
1	देहरादून (देहरादून)	01
2	हल्द्वानी (नैनीताल)	02
3	हरिद्वार (हरिद्वार)	03

नोटः– **1. यदि किसी परीक्षा केन्द्र हेतु अभ्यथियों की संख्या कम होगी तो उन अभ्यर्थियों को नजदीक के परीक्षा केन्द्र आंवटित किये जाऐंगे।**

2. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र हेतु जो विकल्प दिया गया है, उसकी उपलब्धता न होने पर आयोग द्वारा उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में अभ्यर्थियों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

परीक्षा योजनाः– प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार दो निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (परम्परागत प्रकार की)

उत्तराखण्ड सचिवालय/लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पद

(प्रारम्भिक परीक्षा) हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 02 घण्टें **कुल प्रश्नों की संख्या : 150** **पूर्णांक : 150**

भाग– 1

सामान्य हिन्दी

कुल प्रश्नों की संख्या : 45 **पूर्णांक : 45**

1. वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन)

2. वर्तनी शोधन/विश्लेषण

3. शब्द रचना – उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग

4. व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया–विशेषण एवं अव्यय

5. शब्द भेद – तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़–यौगिक एवं योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, शब्द–विलोम, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, शब्द–युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द।

6. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग

7. वाक्य रचना के प्रकार एवं भेद

8. वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य/भाववाच्य

9. शब्द शुद्धिकरण

10. लोकोक्ति एवं मुहावरें

भाग– 2

सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्नों की संख्या : 75 **पूर्णांक : 75**

1. सामान्य विज्ञान एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।

2. भारत का इतिहास एवं संस्कृति इत्यादि।

3. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास।

4. भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, मानव अधिकार से संबंधित मुद्‌दें, मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

6. भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी मुद्‌दें, जैव एवं पर्यावरण संरक्षण कानून इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

7. भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक आपदायें एवं आपदा प्रबंधन इत्यादि, इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियां।

8. अधुनातन अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि।

9. अधुनातन राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि।

10. उत्तराखण्ड राज्य की शिक्षा, संस्कृति एवं रहन–सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, समाज सुधार आंदोलन, राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी एवं गैर–सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनायें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन एवं समकालीन इतिहास।

11. उत्तराखण्ड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार– वाणिज्य, पर्यटन, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं भूगोल इत्यादि।

<u>भाग–3</u>

<u>सामान्य बुद्धि परीक्षण</u>

कुल प्रश्नों की संख्या : 30 **अंक : 30**

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमनिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, अविद्यमान अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध– कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमे संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

<u>नोट</u> – प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

<u>Syllabus for the Post of Additional Private Secretary In The Uttarakhand Secretariat and Public Service Commission (Preliminary Exam)</u>

<u>General Hindi, General Studies and General Intelligence Test</u>

(Objective Type)

Time allowed : 02 Hours **No. of Questions - 150** **Max.Mark : 150**

<u>Part -1</u>

<u>सामान्य हिन्दी</u>

कुल प्रश्नों की संख्या : 45 **पूर्णांक : 45**

1. वर्ण संरचना (स्वर और व्यंजन)

2. वर्तनी शोधन / विश्लेषण

3. शब्द रचना – उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग

4. व्याकरणिक कोटियां – संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया–विशेषण एवं अव्यय

5. शब्द भेद – तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़–यौगिक एवं योगरूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, शब्द–विलोम, समूहवाची, समरूप किन्तु भिन्नार्थक, शब्द–युग्म, वाक्य या वाक्यांश के लिए एक शब्द।

6. रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग

7. वाक्य रचना के प्रकार एवं भेद

8. वाच्य परिवर्तन – कर्तृवाच्य / कर्मवाच्य / भाववाच्य

9. शब्द शुद्धिकरण

10. लोकोक्ति एवं मुहावरें

Part -2

General Studies

No. of Questions - 75 **Max.Mark : 75**

1. General Science and Application of Science in day -to-day life.
2. Indian History and Culture etc.
3. Indian National Freedom Movement and Contemporary Indian History.
4. Basic knowledge of the Indian Constitution, Human Rights Related Issues, Fundamental Rights and Duties etc., Current activities in these areas.
5. Indian economy, agriculture, trade and commerce etc., current activities in these areas.
6. Population in the Indian context, Environment and Urbanization, environmental pollution, health related issues, Bio and Environment Protection Act, etc., current activities in these areas.
7. Geography of India and the World, Natural disasters and disaster management etc., current activities in these areas.
8. Current events of National and International importance, Sports, Entertainment etc.
9. Current events of Uttarakhand State importance, Sports, Entertainment etc.
10. Education, Culture and Life style, Specific Information regarding Social practices, Social reform movement, Political background and Administrative setup, Governmental and Non-Governmental welfare and developmental schemes, Historical background, Uttarakhand Rajya Nirman Andolan and Contemporary History of the Uttarakhand State.
11. Agriculture, Industry, Commerce and Trade, Tourism, Economic and Natural Resources, Population distribution, Sex ratio, Literacy, Health, Forest and Wild Life, Environment and Geography in Uttarakhand State.

Part -3

General Intelligence Test

No. of Questions - 30 **Max.Mark : 30**

Questions of verbal, non-verbal and analytical types consisting of analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding –decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark.

उत्तराखण्ड सचिवालय/लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पद (मुख्य परीक्षा) हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना

अपर निजी सचिव परीक्षा हेतु परीक्षा योजना निम्नवत् हैः–

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>प्रश्न–पत्र</th><th>विषय</th><th>अधिकतम अंक</th><th>समयावधि</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रश्नपत्र–1</td><td>सामान्य अध्ययन</td><td>100</td><td>02 घण्टा</td><td>–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रश्नपत्र–2</td><td>सामान्य हिन्दी</td><td>100</td><td>03 घण्टा</td><td>–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रश्नपत्र–3</td><td>हिन्दी आशुलेखन</td><td>135</td><td>5 मिनट तथा 35 मिनट</td><td>–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रश्नपत्र–4</td><td>हिन्दी टंकण</td><td>15</td><td>10 मिनट</td><td>–</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रश्नपत्र–5</td><td>कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा</td><td>100</td><td>1:30 घण्टा</td><td>–</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रश्नपत्र–6</td><td>सामान्य अंग्रेजी</td><td>50</td><td>01 घण्टा</td><td rowspan="3">पद हेतु वैकल्पिक प्रश्न–पत्र</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रश्नपत्र–7</td><td>अंग्रेजी आशुलेखन</td><td>135</td><td>5 मिनट एवं 35 मिनट</td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रश्नपत्र–8</td><td>अंग्रेजी टंकण</td><td>15</td><td>10 मिनट</td></tr>
</table>

सामान्य अध्ययन (अधिकतम अंक–100)

प्रश्न पत्र–1

सामान्य अध्ययन (अधिकतम अंक –100) समय – 02 घंटे

प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

1.	अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं	10
2.	सामान्य विज्ञान	10
3.	भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवम् आधुनिक भारत के संदर्भ में)	10
4.	भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन	10
5.	भारतीय राज्य तंत्र, अर्थ व्यवस्था एवं संस्कृति	10
6.	कृषि, जनसंख्या एवं पर्यावरण (भारतीय सन्दर्भ में)	10
7.	उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी	10
8.	उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	10
9.	शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक	10
10.	सामान्य बुद्धि परीक्षण	10

प्रश्न–पत्र–2

सामान्य हिन्दी (अधिकतम अंक–100) समय 03 घंटे

यह प्रश्न–पत्र परम्परागत (निबन्धात्मक) प्रकार का होगा। प्रश्न–पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा :

1.	अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक	20 अंक
2.	संक्षेपण	10 अंक
3.	पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन	10 अंक
4.	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग	10 अंक
5.	अनेक शब्दों का एक शब्द	10 अंक
6.	वाक्यों का शुद्धिकरण	10 अंक
7.	पर्यायवाची तथा विलोम शब्द	05 अंक
8.	हिन्दी निबन्ध	25 अंक

नोट :– 1– सामान्य हिन्दी प्रश्न–पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2– प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न–पत्र में ऐसे प्रश्न होंगे जो एक स्नातक से अपेक्षित हैं।

प्रश्न–पत्र–3
हिन्दी आशुलेखन (अधिकतम अंक–135)

हिन्दी आशुलेखन में अपर निजी सचिव पद हेतु 80 शब्द प्रतिमिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वें उक्त निर्धारित गति में 05 मिनट की अवधि में बोले गये हिन्दी गद्यांश का कम्प्यूटर द्वारा लिप्यान्तरण करें, जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय दिया जायेगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जायेगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन् मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियाँ यदि 05 प्रतिशत से अधिक होती हैं, तो उसे सेवायोजन हेतु अर्ह नहीं समझा जायेगा।

प्रश्न–पत्र–4
हिन्दी टंकण (अधिकतम अंक–15)

हिन्दी टंकण (अनिवार्य) के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न–पत्र दिया जायेगा। हिन्दी टंकण में कम्प्यूटर पर 8000 की– डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी उक्त गति की अनिवार्यता को पूरा नहीं करता है, तो वह सेवायोजन हेतु अनर्ह माना जायेगा। 8000 की–डिप्रेशन की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जायेगा। तदोपरान्त निम्नलिखित क्रम में अतिरिक्त अंक प्राविधानित है, किन्तु अतिरिक्त की– डिप्रेशन के कुल पूर्णांक 15 से अधिक नही होंगे।

गति	अंक
8000–8999 की–डिप्रेशन	10 अंक
9000–10499 की–डिप्रेशन	11 अंक
10500–11999 की–डिप्रेशन	12 अंक
12000–13499 की–डिप्रेशन	13 अंक
13500–14999 की–डिप्रेशन	14 अंक
15000 से अधिक	15 अंक

प्रश्न–पत्र –5 कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षाः अंक–100 समय 1घंटा 30 मिनट
कम्प्यूटर टर्मिनल पर प्रायोगिक परीक्षा

1. Basic knowledge of working on windows and Linux operating system platforms on desktops and laptops with peripherals like printer, microphone and speaker. (20)
2. Working knowledge of Word processing packages (Microsoft word, Open office etc.) (25)
3. Working knowledge of Spread Sheets. (20)
4. Conversant in the use of world wide web and popular websites (for Railway/Air Reseravation, search engines like Google, information web site like wikipedia etc.) (05)
5. Working knowledge of E-mailing (sending, sending with attachment, reading, (15)

saving, printing, maintaining address etc.)

6. Working knowledge of preparation of presentations (power point, PDF etc.) with different styles and animations) (15)

<u>Note</u> - Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

<u>पद हेतु वैकल्पिक प्रश्न–पत्र (प्रश्न–पत्र :– 6, 7 व 8)</u>

प्रश्न–पत्र –6 सामान्य अंग्रेजी (अधिकतम अंक–50) समय 01 घंटा

वाक्य शुद्धिकरण	05 अंक
रिक्त स्थान की पूर्ति	05 अंक
अनुवाद हिन्दी से अंग्रेजी	10 अंक
अनुवाद अंग्रेजी से हिन्दी	10 अंक
अंग्रेजी निबन्ध	20 अंक

प्रश्न–पत्र –7 अंग्रेजी आशुलेखन (अधिकतम अंक–135)

अंग्रेजी आशुलेखन में अपर निजी सचिव पद हेतु 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे उक्त निर्धारित गति में 05 मिनट की अवधि में बोले गये अंग्रेजी गद्यांश का कम्प्यूटर द्वारा लिप्यांतरण करे, जिसके लिये उन्हें 35 मिनट का समय दिया जायेगा। गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जायेगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन् मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में लिप्यांतरण नहीं किया जाता है, तो उसे अंग्रेजी आशुलेखन हेतु अर्ह नहीं समझा जायेगा।

प्रश्न–पत्र–8 अंग्रेजी टंकण (अधिकतम अंक–15)

अंग्रेजी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न–पत्र दिया जायेगा। अंग्रेजी टंकण में कम्प्यूटर पर 9000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी उक्त गति की अनिवार्यता को पूरा नहीं करता है, तो वह अंग्रेजी टंकण हेतु अनर्ह माना जायेगा। 9000 की–डिप्रेशन की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जायेगा। तदोपरान्त निम्नलिखित क्रम में अतिरिक्त अंक प्राविधानित है, किन्तु अतिरिक्त की–डिप्रेशन के कुल पूर्णांक 15 से अधिक नही होंगे।

गति	अंक
9000–10499 की– डिप्रेशन	10 अंक
10500–11999 की– डिप्रेशन	11 अंक
12000–13499 की– डिप्रेशन	12 अंक
13500–14999 की– डिप्रेशन	13 अंक
15000–16499 की– डिप्रेशन	14 अंक
16500 से अधिक	15 अंक

नोट – अंग्रेजी आशुलेखन, अंग्रेजी टंकण तथा सामान्य अंग्रेजी हेतु परीक्षा ली जायेगी, जो वैकल्पिक है। चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में विहित मानक के अनुकूल पाये जायेंगे, वे द्विभाषी भत्ता, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा, पाने के हकदार होंगे।

परिशिष्ट–3

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटीमजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम...................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

<u>निःशक्तता प्रमाण – पत्र</u>

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....आयु.................................. लिंग........................... पहचान चिन्ह.. ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हॉ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हॉ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं

डा0...)	(डा0...)	(डा0...............................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट 04

Logo of Office (If available)

Experience Certificate

Name of Deptt./Office: ……………………………………………………………
Address of Deptt./Office: ....
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: ....
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust…………………
Telephone No……………………………………………………………………
Website:...

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .... Son /Daughter /Wife of shri.. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)	Place of posting	Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.